

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/09/2025	2025/42	30.01.2025	14.05.2025
1- देवदत्त पुत्र नत्थुराम जाति ब्राह्मण निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) (मृतक)			
1/1-नन्दलाल पुत्र स्व० देवदत्त जाति ब्राह्मण, निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)			
1/2-रघुवीर पुत्र स्व० देवदत्त जाति ब्राह्मण, (मृतक)			
1/2/1-पिस्ता देवी स्त्री रघुवीर जाति ब्राह्मण,			
1/2/2- संजय पुत्र रघुवीर जाति ब्राह्मण निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)			
1/2/3- किरण पुत्री रघुवीर पत्नी छियत्तरपाल जाति ब्राह्मण निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)			
1/2/4-कु० अनिता पुत्री रघुवीर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)			
1/3 बाबूलाल पुत्र स्व० देवदत्त (मृतक)			
1/3/1 -मुन्नी देवी स्त्री बाबूलाल			
1/3/2- ईशा पुत्री बाबूलाल पत्नी मोहन जाति ब्राह्मण निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)			
1/4- कृष्ण पुत्र स्व० देवदत्त जाति ब्राह्मण,			
1/5- बिमला देवी स्त्री स्व० देवदत्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)(मृतक)			

(अपीलान्तान)

- 1- श्योराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)
- 2- खुशीराम पुत्र नत्थूराम जाति ब्राह्मण निवासी 221 ब्लॉक सी. जे. जे कॉलोनी रघुवीर नगर दिल्ली-27
- 3- कमलेश पुत्री नत्थूराम स्त्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वी- 554, गली न० 2 अरविन्द नगर घोण्डज्ञ भजनपुरा उत्तर पूर्व दिल्ली-53 ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)
- 4- तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा। (राजस्थान)

(रेस्पोडेन्टान)

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर नामान्तकरण संख्या 3420 वाके ग्राम शामदा निर्णय दिनांक 29.05.2015 जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान) जिसके द्वारा बेजा खिलाफ कानून नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्योराम के पक्ष में स्वीकार किया गया है, को अपास्त किये जानें

उपस्थित-

01. कु० सुषमा शर्मा
02. श्री रामेश्वर दयाल

- वकील अपीलान्त
- वकील रेस्पोडेन्ट

—: निर्णय:—

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार किशनगढवास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3420 दिनांक 29.05.2015 ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्जे नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्तान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न० 252 रकबा 2.34 है०, 332 रकबा 0.54 है०, 333 रकबा 1.18 है०, कुल किला 3 रकबा 4.06 है० का 1/5 हिस्सा दर 2/3 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा नत्थूराम की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी थी, नत्थूराम द्वारा स्वयं की ग्राम शामदा में स्थित खातेदारी की आराजीयात के संबंध में एक वसीयत अपीलान्त के हक में दिनांक 19.12.1993 को तहरीर की गयी वसीयत सभी परिवार वालो व अपीलान्त व रेस्पोडेन्ट व अन्य लोगो के हस्ताक्षर कराये गये। इस प्रकार वसीयत सभी पक्षो के सामने स्वेच्छा पूर्वक सभी परिवार वालो की सहमति से की गयी थी। मुताबिक वसीयत के मिन अपीलान्त ग्राम शामदा मे स्थित आराजीयात का खातेदार काश्तकार काबिज जायदाद हो गया। वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1120 अपीलान्त देवद्वत के हक में स्वीकृत हुआ जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को की गयी। जहाँ से अपील रिमांड होकर तहसीलदार मुण्डावर को भिजवायी गयी। तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा नत्थूराम की विरासत रेस्पोडेन्ट के नाम गलत तरीके से चढा दी, अपीलान्त की वसीयत की और गौर नही किया गया। जिस आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के यहाँ पेश की गयी। विवादित आराजी पर नत्थूराम के जीवनकाल से उनके देहान्त होने बाद भी अपीलान्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, रेस्पोडेन्ट शुरू से ही दिल्ली में रहते है। जो ग्राम शामदा में नही रहे है, पिता के सामने ही दिल्ली रहने लग गये। रेस्पोडेन्ट का मौके पर कभी कब्जा नही रहा। रेस्पोडेन्ट गैर काबिज है, जिन्होने मिन अपीलान्तान के हकूको को मारने की गरज से एक नुमाइशी बैयनामा बिला जरे बदल व बिला कब्जा दिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में पंजीबद्ध कराया है, रेस्पोडेन्टान के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी कब्जा नही दिया क्योंकि उनका स्वयं का कब्जा ही मौके पर नही है। नामान्तकरण दर्ज व मंजूर करते समय कब्जे का बिन्दू अहम होता है, तहत अदालत द्वारा कब्जे के बिन्दू को नजर अंदाज करते हुये नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में नामान्तकरण की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के लम्बित है, ऐसी स्थिति में असल नामान्तकरण का अंतिम निस्तारण हुए बिना ही आज्ञा जेर अपील पारित नही की जानी चाहिये थी, लेकिन गौर नही किया गया। इस बात की जानकारी तहत अदालत को बखूबी थी। विवादित आराजी के संबंध में रेग्गूलर सूट भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें भी अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति में नामान्तकरण संख्या 3420 दर्ज व मंजूर नही किया जाना चाहिए था, लेकिन गौर नही किया गया। अपील अपीलान्त स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 3420 वाके ग्राम शामदा में वर्णित आराजीयात खसरा न० 252/2.34, 332/0.54, 333/1.18 किला 3 रकबा 4.06 है० खुशीराम पुत्र नत्थू, कमला पुत्री नत्थू जाति ब्राह्मण सम. हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर 1/3 हि० दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तकरण बयनामा जर्जे रजि० पु. स. 1 जिल्द सं. 455 पृष्ठ सं. 31 क्रम संख्या 2015001248 दिनांक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक किया गया है, के आधार पर खातेदार रतन लाल पुत्र रामचन्द गुर्जर हि. 2/15 सा. देह खातेदार बाकी बदस्तूर दिनांक 29.05.2015 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्त द्वारा बयनामा को निरस्त कराये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है, के बावत कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ पेश नही किया गया है, साथ ही अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है, विवादित आराजी के संबंध में रेग्गूलर सूट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होने है। एक विषय-वस्तु के बाबत अलग-अलग न्यायालय में वाद नहीं चल सकते है। प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय सक्षम न्यायालय से होने है। अपील अपीलान्त सारहीन होने के कारण खारिज की जावे। अपने कथन की पुष्टि हेतु आर.आर.टी 2023 (1) पेज संख्या 93 लगायत 97, आर.आर.टी 2017 (2) पेज संख्या 1355 लगायत 1358

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त की बहस पर मनन किया। अपीलान्त का कथन है, कि आराजी खसरा न0 252 रकबा 2.34 है0, 332 रकबा 0.54 है0, 333 रकबा 1.18 है0, कुल किला 3 रकबा 4.06 है0 का 1/5 हिस्सा दर 2/3 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर नत्थूराम की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी थी, आराजीयात के संबंध में वसीयत अपीलान्त के हक में दिनांक 19.12.1993 को तहरीर की वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1120 अपीलान्त देवदत्त के हक में स्वीकृत हुआ जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को की गयी। जहाँ से अपील रिमांड होकर तहसीलदार मुण्डावर को भिजवायी गयी। तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा नत्थूराम की विरासत रेस्पोडेन्ट के नाम गलत तरीके से चढा दी, अपीलान्त की वसीयत की और गौर नहीं किया गया। जिस आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के यहाँ पेश की गयी। विवादित आराजी पर नत्थूराम के जीवनकाल से उनके देहान्त होने बाद भी अपीलान्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर काशत करता चला आ रहा है, रेस्पोडेन्ट शुरू से ही दिल्ली में रहते है। जो ग्राम शामदा में नहीं रहे है, रेस्पोडेन्ट का मौके पर कब्जा नहीं है। रेस्पोडेन्ट गैर काबिज है, अपीलान्तान के हकको को मारने की गरज से एक नुमाइशी बैयनामा बिला जरे बदल व बिला कब्जा दिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में पंजीबद्ध कराया है, रेस्पोडेन्टान के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी कब्जा नहीं दिया क्योंकि उनका स्वयं का कब्जा ही मौके पर नहीं है। नामान्तकरण दर्ज व मंजूर करते समय कब्जे का बिन्दू अहम होता है, तहत अदालत द्वारा कब्जे के बिन्दू को नजर अंदाज करते हुऐ नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में नामान्तकरण की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प अलवर के लम्बित है, ऐसी स्थिति में असल नामान्तकरण का अंतिम निस्तारण हुए बिना ही आज्ञा जेर अपील पारित नहीं की जा सकती है। विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें भी अधिकार तय होने है। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 3420 वाके ग्राम शामदा में वर्णित आराजीयात खसरा न0 252/2.34, 332/0.54, 333/1.18 किला 3 रकबा 4.06 है0 खुशीराम पुत्र नत्थू, कमला पुत्री नत्थू जाति ब्राह्मण सम. हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर 1/3 हि0 दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तकरण बयनामा जर्ज रजि0 पु. स. 1 जिल्द सं. 455 पृष्ठ सं. 29 क्रम संख्या 2015001246 दिनांक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक किया गया है, के आधार पर खातेदार श्योराम पुत्र नारायण गुर्जर हि. 2/15 सा. देह खातेदार बाकी बदस्तूर दिनांक 29.05.2015 को स्वीकार किया गया अपीलान्त द्वारा बयनामा को निरस्त कराये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ पेश नहीं किया गया है, साथ ही अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है, विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लम्बित है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति मे एक विषय-वस्तु के बाबत अलग-अलग न्यायालय में वाद नहीं चल सकते है, प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय सक्षम न्यायालय से होने है।

तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 3420 वाके ग्राम शामदा में वर्णित आराजीयात खसरा न0 252/2.34, 332/0.54, 333/1.18 किला 3 रकबा 4.06 है0 खुशीराम पुत्र नत्थू, कमला पुत्री नत्थू जाति ब्राह्मण सम. हिस्सा 2/3 साकिन देह खातेदार बाकी बदस्तूर 1/3 हि0 दर्ज रिकार्ड थी, तहत अदालत द्वारा उक्त नामान्तकरण बयनामा जर्ज रजि0 पु. स. 1 जिल्द सं. 455 पृष्ठ सं. 29 क्रम संख्या 2015001246 दिनांक 21.05.2015 उपपंजियक द्वारा तस्दीक

द
जिला कलक्टर
जिला अलवर-तिजारा (सत्र0)

क्रिया गया है के आधार पर खातेदार शशीराम पुत्र नारायण गुर्जर दि 2/15 सा देह खातेदार वाकी बदस्तूर दिनांक 29.05.2015 को रबीकार किया गया है। अपीलान्त द्वारा बयनामा को निरस्त कराये जाने हेतु कोई विधिक कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की गयी है के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली के साथ पेश नहीं किया गया है साथ ही अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है विवादित आराजी के संबंध में रेग्यूलर सूट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में लब्धित है। जिसमें पक्षकारान के अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति में एक विषय-वस्तु के बाबत अलग-अलग न्यायालय में वाद नहीं चल सकते है प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार तय सक्षम न्यायालय से होने है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण का निस्तारण किया जाता है, तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में चल रहे नियमित वाद की कार्यवाही प्रभावित होगी साथ रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत अदालत द्वारा खातेदारा के मध्य हुए रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कर निर्णित किया गया है। अपीलान्त द्वारा किये गये बयनामा को निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम न्यायालय के यहा कोई कार्यवाही की गयी है, के बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। तहत अदालत द्वारा विधिवत जॉच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 नामान्तकरण संख्या 3420 ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज.)